ज्ञापांक-4461/Tech./2024

अविनशमन सेवा म्ख्यालय, झारखाण्ड, राँची।

दिनांक-12.07.2024

सेवा में.

JUSCO School, Kadma,

Road No. 23, Farm Area, Near Rankini Mandir, Kadma, Jamshedpur.

विषय:-JUSCO School, Kadma, Road No. 23, Farm Area, Near Rankini Mandir, Kadma, Jamshedpur स्कूल भवन हेत् अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित स्कूल भवन के अग्नि—सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराई गई। उनके ज्ञापांक-738 दिनांक-11.07.2024 के द्वारा समपर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :--

- Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
- 2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
- निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सूनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
- किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तूरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा। 4.
- अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
- इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
- स्कुल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीको की जानकारी का रहना आवश्यक है।
- Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
- Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
- 10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
- 11. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की
- 12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
- 13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असूविधा हेत् संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
- 14. आकरिमक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
- 15. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जॉचोपरान्त कभी भी रदद किया जा सकता है।
- 16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-11.07.2025 तक के लिये मान्य है।

Digitally signed by JITENDRA TIWARY DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, JITENDRA TIWARY 458ea0b0, postalCode=834004, st=JHARKHAND, serialNumber=C2ef3f400dd8c08a72be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3 d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY Date: 2024.07.12 22:10:39 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची।